JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन, अपराध की संकल्पना, अवधारणा एवं साहित्य सर्वेक्षण, शोध का महत्व (जयपुर शहर के संदर्भ में)

Study of Spatial pattern of increasing crime against women Concept of Crime, Idea and Literature Survey and Importance of Research work with reference to Jaipur city

Research Paper

Author – Sonu Verma. At Present Research Working Research Scholar at Career Point University Kota, Rajasthan.

अपराध की संकल्पना – मनुष्य द्वारा किये गये ऐसे कार्य एवं आचरण जो समाज विरोधी होते हैं, और जिनसे सामाजिक परम्पराओं तथा समाज के नैतिक मूल्यों, आदर्शों व प्रतिमानों का उल्लंघन होता है, को अपराध के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। ऐसे कार्य समाज के विभिन्न समुदाय के लोगों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्लेश पहुँचाते हैं। इन कार्यों से समाज में कलुषता फैलती है। इसलिए ऐसे कार्यों को समाज द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपराध को परिभाषित करते हुए बताया है कि अपराध ऐसी सामाजिक घटना अथवा ऐसा मानवीय कृत्य होता है जो समाज की व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर देता है, और समाज के हितों को नुकसान पहुँचाता है।

कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता वरन् वह अपराधिक कृत्य समाज में ही सीखता है, अर्थात् अपराध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ इसी समाज से उत्पन्न होती हैं एवं ये परिस्थितियाँ मनुष्य को असामान्य आचरण के लिए प्रेरित करती हैं। फलतः अपराध का जन्म होता है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने अपराध को अपने–अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपराध केवल का विषय क्षेत्र नहीं है, वरन् समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र और कानून के अन्तर्गत इस विषय पर व्यापक कार्य हुआ है। के लिए यह एक नई शाखा (अपराध –मानव की नवविकसित शाखा) है।

अपराध की अवधारणा – मानव एवं प्रकृति के अर्न्तसम्बन्ध पर सम–सामयिक दार्शनिक मान्यताएँ समाज का निर्धारण समाज के प्राकृतिक वातावरण के द्वारा होता है (कुमार, 2000)। कारकों में धरातल सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। समतल भूमि में आपराधिक घटनाएँ कम होती है, जबकि उबड़–खाबड़ स्थान,

पहाड़ी धरातल एवं खड्डों में अपराधों की संख्या अधिक पायी जाती है (कुमार, 2000)। मांटेस्क्यू जो कृषि वेत्ता और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, ने अपराध के लिए परिस्थितियों को उत्तरदायी माना है। उन्होंने कहा, गर्म जलवायु डकैती, चोरी इत्यादि को प्रभावित करती है, जबकि शीत जलवायु प्रजातंत्र और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ–साथ अपराध में ह्रास होता है (क्रिसेल, 1960)। पारिस्थितिकी की विचारधारा में भी अपराधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें टारडे, फोर, बुराती बैटारिल्या, लैफर, थ्रेसर और शाह प्रमुख हैं (कुमार, 2000)। इस संकल्पना में मनुष्य स्वयं व्यापक प्राकृतिक व्यवस्था के अंग के रूप में देखा जाने लगा (दीक्षित, 2000)। डेक्सटर महोदय ने अपराध का अध्ययन पारिस्थितिकी की विचारधारा के अन्तर्गत करते हुए बताया कि अपराध पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक, उबड़–खाबड़ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम एवं समतल मैदानों में सबसे कम होता है। बलात्कार पर्वतीय भागों में अधिक व समतल में कम होते हैं। गर्म देशों में मारपीट एवं ठंडे देशों में चोरी, डकैती की घटनाएँ अधिक होती हैं। शीत ऋतु में सम्पत्ति एवं ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति सम्बन्धी अपराध अधिक देखे जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बाल हत्या, जुलाई में आक्रमण एवं मनुष्य की हत्या, जनवरी–अक्टूबर में माता–पिता की हत्या, मई–जून में बलात्कार की घटनाएँ अधिक होती हैं (मिश्रा, 1985)। चिन्तन में प्रतिबिम्बित होती रही है, किंतु प्रत्येक काल में मूलतः मानव एवं प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों पर आधारित ज्ञान रहा है। यद्यपि आदिकाल से ही भारतीय मनीषियों ने प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों पर आधारित ज्ञान रहा है।

अपराध का साहित्य सर्वेक्षण – वस्तुतः अपराध का अध्ययन, अपराधशास्त्र का मुख्य विषय रहा है, यही कारण है कि अपराध सम्बन्धित ज्यादातर साहित्य अपराधशास्त्र की परिधि में आ जाता है। भारत में भी मानव एवं वातावरण के व्यवहार को लेकर 70 के दशक में आचारपक का प्रारम्भ किया गया। अपराध इसी आचारपक का एक अंग है। इसके अनुसार मानव व्यवहार, मानव एवं वातावरण की दशाओं की अन्तर्क्रियाओं का प्रतिफल है। मानव और वातावरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में 1748 में माण्टेस्क्यू ने और 1749 में बफन ने अपराधों का अध्ययन किया। इन दोनों का मत था कि वातावरण मानव के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है और यदि मानव अपराधी प्रवृत्तियाँ अपनाता है तो उसके पीछे उसके चारों ओर पायी जाने वाली परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। अपराध एक सार्वभौमिक स्थिति है। ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हों और उन्हें दण्डनीय स्वीकार किया जाये, अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन आचरणों को नीतिशास्त्र अनैतिक कृत्य, कानून अवैध, धर्मशास्त्र पाप, दर्शनशास्त्र अशुभ मानता है। आदिम समाज में इन कृत्यों को टॉर्ट के नाम से जाना जाता था (पाण्डेय, 2002)। अपराध साहित्य में अपराधों को अलंकारिक भाषा में दर्पण की उपमा प्रदान की गयी हैं ऐसा माना जाता है कि "अपराध वह दर्पण है, जिसमें लोगों का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते" (क्लार्क, 1974)। अपराधों के संदर्भ में वार्नफील्ड ने बोस्टन शहर में अपराधों का अध्ययन

किया और स्पष्ट किया कि शहर में उन क्षेत्रों में जहाँ मलिन बस्तियाँ मिलती है, वहाँ अपराध ज्यादा होते हैं। इसी से मिलता–जुलता विचार वेलेन्टाइन ने दिये। उन्होंने सामाजिक स्तर को अपराधों का मुख्य कारण माना है। एम. फास्टिलस ने सम्पत्ति के असमान वितरण को अपराधों का कारण माना। न्यूमैन ने इमारतों की बनावट और ऊँचाई को अपराध से संबंधित करते हुए स्पष्ट किया कि अधिक ऊँची इमारतों एवं खुले निर्माण तथा न दिखाई देने वाली अवस्थिति में अपराध अधिक होता है। जैन मिलर ने दंगों का विस्तार से अध्ययन किया और इसके कारण के पीछे हताशा, गरीबी और असुरक्षा की भावना को कारण माना। डैक्सटर महोदय ने अपराधों पर ता के प्रभाव को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि अपराध पर अवस्थाओं और मौसम का प्रभाव पड़ता है। मारपीट जैसे जैसे अपराध पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, उबड़–खाबड़ क्षेत्रों में उससे कम और समतल मैदानों में सबसे कम होते हैं अपराध पर कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले अन्य विद्वानों में मिल्स, डिफ्लूर, हैरिज और टेलर प्रमुख है। इन्होंने अपने व्यापक शोधों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अपराध और अपराधियों पर वातावरण के तत्वों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इस प्रकार अपराध शास्त्र धीरे–धीरे के अध्ययन का विषय भी होता गया। यद्यपि इस कार्य में विदेशी विद्वानों का विशेष योगदान है। अपराध पर अपने शोध–पत्र, विचार, व्याख्यान, प्रसिद्ध पत्रिकाओं, गोष्ठियों आदि के माध्यम से इसके साहित्य को समृद्ध करने वाले विदों में कोहेन, ल्वी, फिलिप, हैरिज, पीट, हरबर्ट आदि प्रमुख है। अपराध का प्रारम्भ होने के बाद अनेक विद्वानों ने इस समस्या का क्षेत्रीय अध्ययन किया हैं जिसमें कोर्सा, हार्वे, क्लीनर्ड, हाउन्स, हैसिल एण्ड टेथस, हेनर, सैन्सपरी, स्काट का योगदान सराहनीय है। विश्व के अन्य देशों में अपराध को दृष्टिकोण से देखा गया। उस पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव आदि का विश्लेषण दृष्टिकोण द्वारा किया गया। किन्तु भारत में अपराधशास्त्र को ता के क्षेत्र में लाने में उपेक्षा की गयी है। बाद में अनेक तर्क–वितर्क एवं विरोधों के बाद अपराध को विषय के अन्तर्गत लाया गया, और अपराध का अध्ययन परिप्रेक्ष्य में किया गया। जिसमें मि. सेघना, पेरीन सी केरावाला एवं मि. वेनु गोपालराव मुख्य हैं। इनके अलावा जिन अन्य विद्वानों ने भारत में अपराध पर काम किये उनका विवरण इस प्रकार है–मि. शर्मा (1975), शिवमूर्ति (1981), ए.के. दत्त और जी. वेनूगोपाल (1983), राधेश्याम मिश्रा (1985), आर.डी. सिंह (1991), बी. पासवान (1991), आर.एस. सिंह और सुधा सिंह (1992), प्रशन कुमार (2000), इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभाग में सविता पाण्डेय (2002), आशुतोष त्रिपाठी (2005), अजय त्रिपाठी (2006), नवलेश चतुर्वेदी (2010) तथा विवेकानन्द राय (2012) इत्यादि ने अपराध के क्षेत्रीय विश्लेषण किया। वस्तुतः इन कार्यों में मुख्यतः अपराधों के कालिक और स्थानिक पक्षों का निरूपण किया गया है, जबकि अपराध हेतु उत्तरदायी आर्थिक और सामाजिक कारकों पर कम ध्यान दिया गया। इसी प्रकार अधिकांश अध्ययनों में अपराधों की स्थानिक विषमताओं की विधिवत व्याख्या का अभाव पाया जाता है। वर्तमान अध्ययन में इन अन्तरालों के परिपूरण का प्रयास किया गया है।

शोध का महत्व – एक स्वस्थ समाज का विकास अपराध मुक्ति से सम्भव है। अपराध का बढ़ना समाज के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न करता है जिससे आम नागरिकों का जीवन कठिन/दुरूह और आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत राजस्थान के जयपुर शहर के नगरीय क्षेत्र में स्थित महिला अपराधों के प्रतिरूप का स्थानिक–कालिक विश्लेषण किया जायेगा जो वस्तुतः अपराध मानव की एक नवीन शाखा है जिसके अन्तर्गत समाज में रहने वाले ऐसे लोगों का अध्ययन किया जायेगा जो समाज के नैतिक मूल्यों एवं सर्वमान्य सामाजिक परम्पराओं के विपरीत आचरण करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त पुलिस प्रशासन तथा आधुनिक सूचना एवं संचार प्रणाली से पुलिस को सक्षम एवं दक्ष होने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

निष्कर्ष – महिलाओं को सुरक्षा के प्रति हमें प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा। जिस प्रकार अपनी बहिन बेटियों के समान अगर दूसरे की बहिन बेटियों को अपना समझा जाये तो अपराध बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा एवं दिल में से गंदे विकारों को दूर करना होगा, तभी जाकर आने वाले समय में हमारी बहिन बेटिया सुरक्षित होंगी।

संदर्भ सूची (List of References)

1. वोंगर, ए.डब्लू. (1916): क्रिमिनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कंडीशन्स, बोस्टन, पृ. 536–537.
2. हूट्टन, ई. (1931): दि अमेरिका क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी (1939) हारवर्ड पूनी प्रेस, कैम्ब्रिज.
3. हेटिंग, हैंसवॉन (1947): क्राइम काजेज एण्ड कंडीशन्स, न्यूयार्क, पृ. 203.
4. लुंडबर्ग, जी. (1951); "सोशल रिसर्च" लोंगमैन", न्यूयॉर्कः ग्रीम एण्ड कम्पनी।
5. गुडे एण्ड हॉट (1952); "मैथेड इन सोशल रिसर्च", न्यूयॉर्कः मेक्ग्राहील बुक कम्पनी।
6. सिमूल, जार्ज (1956): क्रिमिनोलॉजी, यूथ स्टडी सर्किल.
7. क्वेटलेट (1959): धार्मिक लॉ ऑफ क्राइम कोटेड बाई वार्न्स एण्ड टीटर्स इन न्यू हैराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी, चतुर्थ संस्करण, प्रिटिंग हाल, इगलवुड.
8. यंग, पी.वी. (1960); साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च", मुम्बई, एशिया पब्लिकेशन।
9. गुप्ता, सुभाष चन्द्र (1962); "कार्यशील महिला और भारतीय समाज", दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
10. प्रभु, पी.एन. (1963); "हिन्दु सोशल ऑर्गेनाइजेशन", मुम्बईः बॉम्बे पापुलर पब्लिकेशन।
11. तलवार, ऊषा (1965); "सोशल प्रोफाइल इन इंडिया", जोधपुरः जैन ब्रदर्स।
12. कपूर प्रमिला (1970); "मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इंडिया", दिल्लीः विकास पब्लिकेशन।
13. विजय, एन्यू एलीट (1975); "विमन इन इंडियन पोलिटिक्स", नई दिल्लीः विकास पब्लिकेशन।
14. अलीतारा (1975); "वेग इंडिया'ज वीमेन पॉवर", दिल्लीः एस. चांद पब्लिकेशन।
15. कपूर, प्रमीला (1976); "कामकाजी भारतीय नारी", देहलीः राजपाल एण्ड संस।

16. श्रीवास्तव, एस.पी. (1978): सामाजिक समस्यायें, सामाजिक कार्य, विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, पृ. 1.
17. बोकर, एच.एल. (1978); "वाइफ बीटिंग एंड क्राइम इन अमेरिका", न्यूयॉर्क: जॉन वैली पब्लिशिंग हाउस।
18. मूरे, डी.एम. (1979); "दी वेटर्ड वूमेन क्राईम इन अमेरिका": अमेरिका: मैकमिलन न्यूयॉर्क।
19. हाँसन, डी. (1981): ओरिजन ऑफ दि एकेडमिक ज्योग्राफी इन दि यूनाइटेड स्टेट, हैर्म्ब, पृ. 165–174.
20. जैन, मंजु (1982); "कार्यशील महिला एवं समाज", जयपुर: रूपा बुक्स।
21. बोहरा, आशारानी (1983); "भारतीय नारी दशा और दिशा", नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशर्स।
22. बघेल, डी.एस. (1985): क्रिमिनोलॉजी, पृ. 127–128.
23. आहुजा, राम (1987); "क्राइम अंगेस्ट वूमेन", जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
24. अंसारी, एम.एन. (1989); "नारी और नारी चेतना", जयपुर: पंचशील प्रकाशन।
25. मैगारानी (1989); "नारी चेतना और अपराध", जयपुर: पंचशील प्रकाशन।